सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली

केंद्रीय राजस्व भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-११०००२.

F. No. Addl. CIT(Hq)(Coord.)/142(2A)/2024-25/ Date: .12.2024

आवेदन के लिए अधिसूचना

आयकर विभाग, दिल्ली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 142(2ए) के तहत विशेष लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से योग्य सीए संस्थाओं/फर्मों/एलएलपी से पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह पैनल 01.04.2025 से 31.03.2028 तक प्रभावी रहेगा।

पैनल में शामिल करने के लिए निर्धारित मानदंड निम्नानुसार हैं:

1. सीए संस्थाएं/फर्म/एलएलपी **31.03.2024** से कम से कम पांच वर्ष पहले स्थापित होनी चाहिए।
2. सीए संस्थाओं/फर्मों/एलएलपी के पेशे से कुल कारोबार/सकल प्राप्तियां पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में कम से कम 1 करोड़ रुपये होनी चाहिए। इसके लिये अंतिम वित्तीय वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 है।
3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान यानी वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू होकर, सीए संस्थाओं / फर्मों/ एलएलपी ने कम से कम 100 करोड़ रुपये के कारोबार (**Turn Over)** वाली कम से कम पाँच अलग-अलग कंपनियों का ऑडिट किया हो।
4. सीए संस्थाओं/ फर्मों/एलएलपी के कर्मचारियों की संख्या कम से कम 20 होनी चाहिए, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष **2023-24)** में न्यूनतम 5 चार्टड एकाउंटेंट शामिल होने चाहिए।
5. सीए संस्थाओं/फर्मों/एलएलपी या वहां के सदस्यों को किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं पाया जाना चाहिए।
6. सीए संस्थाओं/फर्मों/एलएलपी या उसके सदस्यों को किसी भी पेशेवर कदाचार में लिप्त नहीं होना चाहिए और न ही चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के तहत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के समक्ष ऑडिट में अनियमितता के लिए किसी शिकायत का सामना करना पड़ा हो।

इस कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की जांच एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी और पैनल में सीए संस्थाओं/ फर्मों एलएलपी के पैनल के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऑडिटर और विशेष ऑडिटर के रूप में किए गए पिछले काम की गुणवत्ता और परिमाण के साथ-साथ योग्य सीए संस्थाओं/फर्मों/एलएलपी की सामान्य प्रतिष्ठा को अंतिम पैनल तय करते समय समिति द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। आवेदक पिछले **5** वर्षों में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण ऑडिट विशेष ऑडिट कार्य पर एक लेख (लगभग **1000** शब्दों में) प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाली सीए संस्थाएं/फर्म/एलएलपी दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ (1) से (6) तक की शर्तों की पूर्ति को निर्दिष्ट करते हुए अपने आवेदन (नोटरीकृत हलफनामे के साथ विधिवत प्रमाणित) कार्यालय आयकर उपायुक्त (मुख्यालय) (समन्वय-1), नई दिल्ली कमरा नंबर 361, तीसरी मंजिल, केंद्रीय राजस्व भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002 या ई-मेल आईडी-**delhi.dcit.hq.coord**1**@incometax.gov.in** पर प्रस्तुत कर सकते हैं। बिना किसी सहायक दस्तावेजी साक्ष्य के आवेदनों को पैनल में शामिल करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र वेबसाइट-**incometaxdelhi.org** से डाउनलोड किया जा सकता है।

पहले से पैनल में शामिल सीए संस्थाएं/फर्म/एलएलपी भी 31.03.2028 तक पैनल में शामिल होने के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा उनके पैनल में शामिल होना उनके मौजूदा पैनल आदेश में उल्लिखित तिथि के बाद समाप्त हो जाएगा। विशेष लेखा परीक्षा के लिए पारिश्रमिक आयकर नियम 1962 के नियम 14बी के अंतर्गत देय होगा।

आवेदक इस विज्ञापन के जारी होने के दो सप्ताह के अंदर आवेदन कर सकते हैं।

रोबिन कुमार

उप/सहायक आयकर आयुक्त (मुख्या.)(समन्वय)-**II**, दिल्ली

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी), दिल्ली

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(2A) के तहत विशेष लेखा परीक्षा के लिए सीए इकाई फर्मों/एलपी के पैनल के लिए आवेदन.

1	फर्म का नाम	
2	आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या	
3	वर्तमान स्थिति	
4	पैनः वार्ड, सर्कल	
5	कार्यालय का पूरा पता दूरभाष में, फैक्स नं एवं ईमेल आईडी	
6	तारीख जब में फर्म के पास एफसीए है	
7	फर्म/एलएलपी की स्थापना की तिथि	
8	नाम और पूरा पता, दूरभाष नं और मुख्यालय के सीए प्रभारी की ईमेल आईडी	
9	पूर्णकालिक भागीदार का विवरण (अलग शीट योग्यता और अनुभव को इंगित करते हुए)	
10	फर्म के अंशकालिक भागीदारों का विवरण जैसे नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, पता और पंजीकरण संख्या।	
11	सीए कर्मचारियों का विवरण जैसे नाम और फोन नंचर।	
12	फर्म के साथ पूर्णकानिक रूप में कार्यरत लेखापरीक्षा कर्मचारियों की संख्या (ए) अर्टिकल/लेखापरीक्षा क्लर्क (नाम और फोन नंबर) (बी) अन्य लेखापरीक्षा कर्मचारी (नाम और फोन नं.)	
13	भागीदारों द्वारा आयोजित निदेशक का विवरण	
14	सीए फर्म/इकाई/एलएलपी का कारोवारः वित्तीय वर्ष 2019-20 वित्तीय वर्ष 2020-21 वित्तीय वर्ष 2021-22 वित्तीय वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष 2023-24	दस्तावेजी माध्य के साथ (जैसे आईटीआर, ऑडिट रिपोर्ट और ऐसा कोई अन्य दस्तावेज)
15	किए गए लेखापरीक्षा का विवरणः वित्तीय वर्ष 2021-22 वित्तीय वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष 2023-24	ऐसी प्रत्येक इकाई के विवरण के साथ-साथ ऐसी प्रत्येक इकाई का कारोबार स्थापित करने वाले दस्तावेजी साध्य (जैसे आईटीआर, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और ऐसे कोई अन्य दस्तावेज)
16	सीए इकाई/फर्म/एलएलपी द्वारा किए गए आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 142(2ए) के तहत सभी विशेष लेखापरीक्षा का विवरण	
17	सीए फर्म/इकाई/एलएलपी किसी भी पेशेवर कदाचार में लिप्त है या आईसीएआई के समक्ष लेखा परीक्षा में अनियमितताओं के निए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के तहत किसी भी शिकायत का मामना किया है।	
18	क्या फर्म या फर्म के साझेदारों को उसके काम के निर्वहन में आईटी अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है या किसी अन्य न्यायालय के तहत दोषी ठहराया गया है।	

घोषणा

हम सीए फर्म/इकाई/एलएनपी के निम्नलिखित भागीदार संयुक्त रूप से और अलग-अलग मत्यापन और घोषणा करते हैं

1. यह कि ऊपर दिए गए विवरण मही हैं और यह भी स्वीकार किया जाता है कि यदि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के लिए दिया गया कोई भी विवरण सही या गलत जानकारी या प्रमाणित जानकारी न पाई जाने पर, न केवल आवंटन में फर्म को अयोग्य घोषित करेगा बल्कि सीए अधिनियम, 1949 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भ उत्तरदायी होगा।
2. यह कि व्यक्तिगत रूप से हम अन्यथा अभ्यास में या किसी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं हैं जिसे सीए अधिनियम, 1949 की धारा 2(2) के तहत व्यवहार में माना जाएगा।

(साझेदार)